

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प, भोपाल

पुनरीक्षण क्रमांक-

x16

निगा-137-132-16

1- श्री नर्मदाप्रसाद

2- सोनू

3- देवेन्द्र

4- गोपाल

सभी पुत्रगण नंद किशोर आयु-वयस्क

निवासी बरखेडी रुई, तहसिल हज़ूर

जिला भोपाल

-----पुनरीक्षणकर्ता गण

किरूद

1- श्रीमति उषादेवी पत्नी श्री के. एन. शुक्ला

आयु- वयस्क निवासी-ए-12, आकृति गार्डन

नेह्रुनगर, रोड, भोपाल म090

2- सीताराम

3- धोराम

4- प्रेमनारायण

5- हरोप्रसाद

6- ब्रजलाल

7- करणसिंह

8- बसंतीबाई

पुत्र-पुत्री डालचंद

निवासी-~~गुरु बरखेडी रुई~~

-----जिला कोषाल-----

9- स्टरलिंग कान्स्ट्रक्ट एण्ड बिजनेस

द्वारा अवनीश सबरलाल,

निवासी-----कोषाल

-----रेस्पॉडेंट/अनावेदक गण

नर्मदाप्रसाद
सोनू
देवेन्द्र
गोपाल

CF 26 216

N.F 26/2/16

60

श्री श्री. एम. अ. शुक्ला
आकृति गार्डन
232116 एफ डालचंद

8/2/16
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

// 2 //

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू रा.संहिता-1959

ग्राम का नाम :- बरछेड़ी खर्द तह. हुज़ूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक :- 14/अ-12/14-15
आदेश दिनांक :- 15-06-2015
न्यायालय का नाम :- राजस्व निरीक्षण टी.टी.नगर वृत्त
तहसील हुज़ूर जिला भोपाल म0प्र0

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्रतापूर्वक निम्न निवेदन करता है :-

अधिसूचक न्यायालय राजस्व निरीक्षण तहसील हुज़ूर, टी.टी.नगर वृत्त जिला भोपाल के समक्ष रेस्पॉन्डिंग द्वारा ग्राम बरछेड़ी खर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक-76/1ख, 76/2, 76/3/1, 76/3/2, कुल रकबा 14.25 एकड़ भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1-6-15 को प्रस्तुत किया। जिसका सीमांकन दिनांक 6-6-15 को को संबंधित समस्त भूधारियों को सूचना दिये बिना तहसील कार्यालय से ही सीमांकन से संबंधित दस्तावेज की रचना कर आदेश पारित कर दिया गया जिससे दुखी एवं क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण निम्न वैधानिक ठोस आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

नमिष प्रसाद
सोनी

R 737-PBR/16 मॉडल

2.3-2017

आवेदन की ओर ली श्री
रमेश जी आरिभाषक एवं आवेदन
की ओर ली श्री जोगेन्द्र गुप्ता आरिभाषक
उपस्थित। माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा नये सिरे से सीमांकन किये
जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अतः तहसीलदार को आदेशित किया
जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय
के आदेश के पालन में तहसीलदार
नये सिरे से सीमांकन करें। इस प्रकल
में कार्यवाही शीघ्र नहीं होने से समाप्त
किया जाता है।

अध्यक्ष

2/3/17